राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 544/2025

राम मुकुट मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए प्रमुख शासन सचिव, पशुधन चिकित्सा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.02.2025
आदेश की दिनांक : 25.02.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमार सैनी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : चेतन राम देवडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में पशुधन सहायक के पद पर उपकेन्द्र, बोरखण्डी, कोटा में पदस्थापित है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति 22.10.2013 को पशुधन सहायक के पद पर प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, बकानी जिला झालावाड में की गई थी। वर्ष 2019 में अपीलार्थी का स्थानान्तरण उपकेन्द्र सांगोद जिला कोटा में किया गया। तत्पश्चात् आदेश दिनांक 21.02.2024 द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थल उपकेन्द्र बोरखण्डी, कोटा में किया गया, जहां पर आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 23.02.2024 को (अनुलग्नक–2 एवं 3) अपना कार्यग्रहण किया था। आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण मात्र 11 माह की अल्पावधि में ही वर्तमान पदस्थापन स्थान से उपकेन्द्र आमली, भीलवाडा में प्रत्यर्थी संख्या 4 चन्द्रप्रभा कोली को समंजित करने की दृष्टि से किया गया है। सेवा अभिलेखों में अपीलार्थी का नाम राम मुकुट मीणा दर्ज है जबकि आलौच्य आदेश में राम मुकुट नाम अंकित किया जाकर बिना प्रशासनिक आवश्यक्ता एवं विवेक का उपयोग किये बिना प्रत्यर्थी

संख्या 4 को समंजित किये जाने की दृष्टि से यह स्थानान्तरण आदेश जारी किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सि.रिट पिटीशन संख्या 7277/2006 नरेश कोली बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 08.11.2006 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया जिसमें माननीय न्यायालय ने स्थानान्तरण आदेश में गलत नाम अंकन एवं बिना विवेक का उपयोग किये समान तथ्यों पर स्थानान्तरण आदेश को नियमानुकूल नहीं मानते हुए विधि विरूद्ध मानां है। अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित करते हुए प्रत्यर्थीगण को नोटिसेज जारी किये जाने का निवेदन किया।

3. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपीलार्थी द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवडा)
सदस्य